एंडोसल्फान

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने एंडोसल्फान पेस्टीसाइड से प्रभावित पीड़ितों के उपचार हेतु उचित कदम न उठाने पर केरल सरकार को फटकार लगाई है।

- न्यायालय ने कहा कि **राज्य की निष्क्रियता 'भयावह' है एवं शीर्ष न्यायालय के 2017 के फैसले का उल्लंघन है** जिसने राज्य को तीन महीने में पीड़ितों के लिये 5 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया था।
- न्यायालय ने फैसले के पाँच साल बाद यह पाया कि **3,704 पीड़ितों में से केवल आठ लोगों को ही मुआवज़ा दिया गया है**।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में इसके हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों का हवाला देते हुए देश भर में **एंडोसल्फान के निर्माण, बिक्री, उपयोग और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था**।

एंडोसल्फान:

- **एंडोसल्फान** एक **ऑर्गेनोक्लोरिन कीटनाशक** है जिसे पहली बार वर्ष 1950 के दशक में पेश किया गया था और इसे आमतौर पर इसके वाणिज्यिक नाम **थयोडन** से जाना जाता है।
- यह कई गंभीर चिकित्सा स्थितियों से संबंधित है, जैसे कि **न्यूरोटॉक्सिसिटी, शारीरिक विकृति, विषाक्तता** आदि।
- सफेद मक्खी, एफिड्स, भृंग, कीड़े आदि **कीटों के नियंत्रण** के लिये **कपास, काजू, फल, चाय, धान, तंबाकू** जैसी फसलों पर इसका छिड़काव किया जाता है।
- एंडोसल्फान को पूर्व सूचित सहमति पर रॉटरडैम अभिसमय और स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय दोनों के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

एंडोसल्फान के प्रभाव:

- **पर्यावरणीय प्रभाव:**
  - पर्यावरण में एंडोसल्फान खाद्य शृंखलाओं में समाहित हो जाता है, जिससे व्यापक स्तर पर समस्याएँ पैदा होती हैं।
  - यदि एंडोसल्फान को पानी में छोड़ा जाता है, तो यह तलछट में अवशोषित होकर जलीय जीवों को प्रभावित कर सकता है।
- **मनुष्य और पशु:**
  - एंडोसल्फान के अंतर्ग्रहण के परिणामस्वरूप शारीरिक विकृति, कैंसर, जन्म संबंधी विकार और मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियाँ हो सकती हैं।

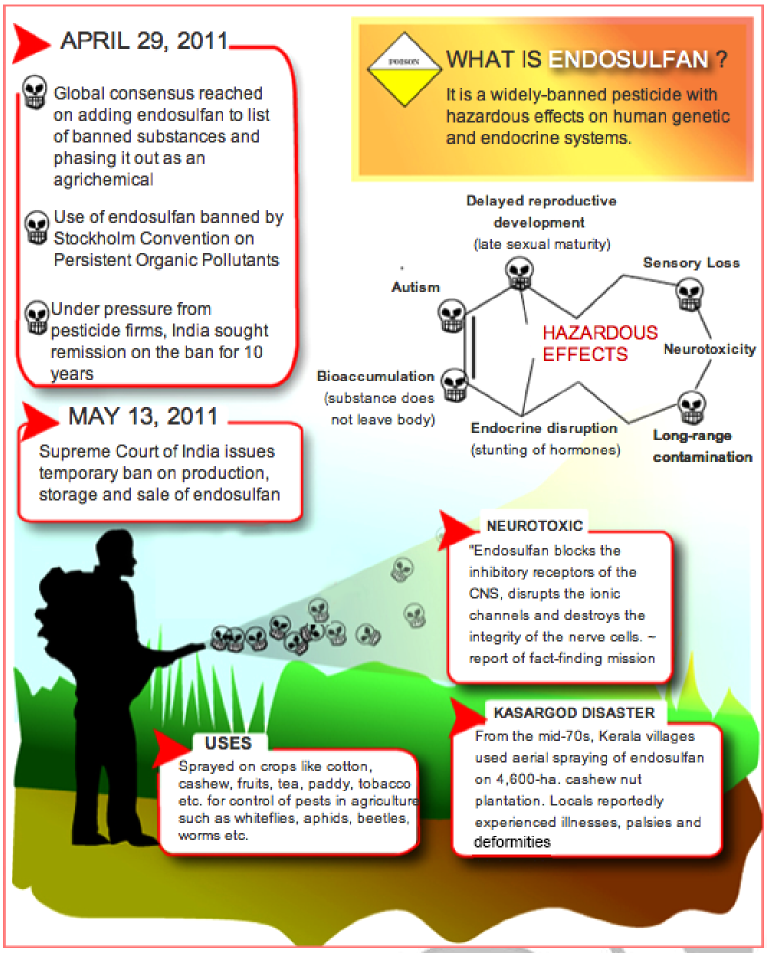

रॉटरडैम कन्वेंशन 1998:

- इस कन्वेंशन का उद्देश्य खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के व्यापार से निपटने हेतु विभिन्न देशों के बीच सहयोग और उत्तरदायित्व साझा करने के उपायों को बढ़ावा देना है।
- पूर्व सूचित सहमति (PIC) इस कन्वेंशन की मुख्य विशेषता है और यह पार्टी के सदस्यों के लिये कानूनी रूप से बाध्यकारी है।
- PIC पक्षों के सदस्यों के बीच प्रकृति और व्यापार से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करती है।
- यह कन्वेंशन पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिये दायित्व का निर्माण करता है।

स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001:

- इस कन्वेंशन का उद्देश्य लगातार कार्बनिक प्रदूषकों (PoP) की सांद्रता को कम करना है जो कि रासायनिक पदार्थ हैं और न केवल लंबे समय तक वातावरण में रहते हैं बल्कि जैव-संचय की क्षमता भी रखते हैं।
- कन्वेंशन ने 12 PoPs को **'डर्टी डज़न'** के रूप में सूचीबद्ध किया है।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/endosulfan-1